

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी-श्री रामकरन मीना तहसीलदार बयाना)

प्र0स0 76/18 ता0 रजु 7-2-19 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 12-2-19

सरकार

बनाम

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का मालीडीरा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम रज्याशीला के खसरा न0 138, 140 रकवा 0.26 हैक्ट में से रकवा 0.26 हैक्ट किस्म भूमि रज्याशीला (मंजूर) पर सम्वत 2075 में आमवीर प्र मिथि ने सरसत बनार अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी/अप्रार्थियों को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी/अप्रार्थियों को न्यायालय हाजा से आवाज लगाई, नोटिस प्राप्ति उपरान्त अप्रार्थी/अप्रार्थीगण न्यायालय हाजा में पेशी दिनांक को उपस्थित/अनुपस्थित आया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी/अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय सिवायचक/चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 138, 140 रकवा 0.26 हैक्ट वाके ग्राम रज्याशीला से बेदखल किया जाता है। लगान 4.16 का 50 गुणा पैन्ल्टी राशि 208/- से दण्डित किया जाता है। पैन्ल्टी की मांग कायमी टी0आर0ए0 हाजा से कराई जावे। पैन्ल्टी वसूली हेतु एवं खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/अवैध कब्जा/अवैध निर्माण ध्वस्त कर बेदखली बाबत हल्का पटवारी/गिरदावर को आदेश जारी हों।

पत्रावली फैसल शुमार हो। वाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 12-2-19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस पत्रावली को वाच नाममात्र
वा. डे. सं. 04 के पेज नं. 35
दिनांक 27-2-19 को वर्ष 2018-19
पैन्ल्टी रु 208/- कायमी/आवासी
को वाच कर ले।
बहुसोव राज
तहसीलदार

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)